उत्तर प्रदेश शासन
कृषि अनुभाग-5
संख्या-22/2023/365/2344906/2023/12-5002(002)/1/2023
लखनऊ:: दिनांक 10 मार्च, 2023

शुद्धि पत्र

शासनादेश संख्या-21/2023/001-8-2293339-12-5002(002)/1/2023, दिनांक 06 मार्च, 2023 एवं उक्त शासनादेश के साथ संलग्न प्रपत्र बी0एम0-9 के पृष्ठांकन में संबंधित जनपदीय वरिष्ठ/मुख्य कोषाधिकारी, उ0प्र0 भी पढ़ा जाय।

2- शासनादेश दिनांक 06 मार्च, 2023 उक्त सीमा तक संशोधित समझा जाय। शासनादेश दिनांक 06 मार्च, 2023 की शेष शर्ते यथावत रहेगी।

(राजीव श्रीवास्तव)
विशेष सचिव

संख्या-22/ 2023/365/2344906**(1)**/2023/12-5002(002)/1/2023 **तद्दिनांक**

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1- महालेखाकार (लेखा एंव हकदारी), प्रथम/द्वितीय, उत्तर प्रदेश, प्रयागराज।
2- महालेखाकार (लेखा परीक्षा), प्रथम/द्वितीय, उत्तर प्रदेश प्रयागराज।
3- प्रधान महालेखाकार (सिविल/आडिट), प्रथम/द्वितीय, उत्तयर प्रदेश प्रयागराज।
4- मुख्य कोषाधिकारी, जवाहर भवन, लखनऊ।
5- वित्त नियंत्रक, कृषि भवन, लखनऊ।
6- संबंधित जनपदीय वरिष्ठ/मुख्य कोषाधिकारी, उ0प्र0।
7- सहायक निदेशक (कम्यूपरी टर एवं समन्वय), कृषि भवन, लखनऊ।
8- वित्त (व्यय-नियंत्रण) अनुभाग-1/नियोजन अनुभाग-3
9- गार्ड फाइल

आज्ञा से,
राजीव श्रीवास्तव
विशेष सचिव

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।